रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 1998

संख्या 1-19/98-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन

2768-राजपत्र/98-30-7-98—1,295. मूल्य : 1 रुपया ।

विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्यांक 16) जो दिनांक 30 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

1998 का विधेयक संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1998 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में, "दो सौ" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4-ख का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5-क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5-क में, "तीन सौ" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "साठ हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अस्सी हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6-ख का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,—

(क) उप-धारा (1) में—

(i) "पांच वर्ष से अन्यून अवधि तक, चाहे निरन्तर या नहीं, सेवा की है प्रति मास एक हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रति मास एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) विद्यमान प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(iii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा और "पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति मास सौ रुपए की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी", किन्तु ऐसे व्यक्ति को संदेय पेन्शन किसी भी दशा में प्रति मास राज्य सरकार के उच्चतम श्रेणी–1 के अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम पेन्शन से अधिक नहीं होगी शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति मास एक सौ पचास रुपए की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को संदेय पेन्शन किसी भी दशा में प्रति मास तेरह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

(ख) उप-धारा (1–अ) का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जो कि माननीय विधान सभा सदस्यों को जन-प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख सुविधाओं के पुनरीक्षण की लगातार मांग रही है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
.....जुलाई, 1998

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 8 के अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष से प्रतिवर्ष साठ लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सामान्य प्रशासन विभाग फाईल संख्या जी0 ए0 डी0-सी0 (पी0 ए0)-4-21/94-III]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1998 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1998

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
.....जुलाई, 1998

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (*Act No.* 8 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1998.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "one thousand and five hundred", the words "two thousand and five hundred " shall be substituted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*ii*), for the words "two hundred", the words "two hundred and fifty" shall be substituted.

Amendment of section 4-B.

4. In section 4-B of the principal Act, for the words "three thousand", the words "four thousand and five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 5.

5. In section 5 of the principal Act, in the first proviso to sub-section (2), for the words "three thousand", the words "four thousand" shall be substituted.

Amendment of section 5-A.

6. In section 5-A of the principal Act, for the words "three hundred", the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 6.

7. In section 6 of the principal Act, for the words "sixty thousand", wherever these occur, the words "eighty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6-B.

8. In section 6-B of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1)—

(*i*) for the words and figures "Rs. 1000 per mensem to every person who has served for a period of not less than 5 years whether continuous or not", the words and figures "Rs. 1,500 per mensem to every person who has served for any period upto five years" shall be substituted ;

(*ii*) the first proviso shall be deleted ;

(*iii*) in the second proviso, the word "further" shall be omitted and for the words, figures and signs "Rs. 100/- per mensem for every year in excess of five, so, however, that in no case the pension payable to such persons shall not exceed the maximum pension admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government", the words, figures and sign "Rs. 150/- per mensem for every year in excess of five, so, however, that in no case the pension payable to such person shall not exceed Rs. 13,000/- per mensem" shall be substituted;

(*b*) sub-section (1-A) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative, has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities. It has thus become necessary to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The.....July, 1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 8 of Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer, to the tune of Rs. 60 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C(PA)4-21/94-III]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1998, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 1998

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA:
The .....July, 1998.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।